न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम0के0 सिंह
सदस्य

निगरानी प्र0 क्र0 3030-एक/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 28-06-12 पारित अनुविभागीय अधिकारी, अमरवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा प्रकरण क्र 55/अ-6/11-12 [illegible]

1. [illegible]वती पति मोहनू मालवीय
2. [illegible]कवती पति सोहनू मालवीय
दोनों निवासी ग्राम हिरी, त0 अमरवाड़ा,
जिला छिंदवाड़ा, म0प्र0 ---- आवेदकगण

विरूद्ध

श्रीमती केशाबाई मृतक वारिसान:-
1. श्रीमती कलाबाई पिता तुलाराम
   नि0 ग्राम हिरी, तह0 अमरवाड़ा
2. श्रीमती [illegible] पति भुवनलाल मालवीय
   नि0 वार्ड क्र0 27, राजपाल चौक, छिंदवाड़ा
3. श्रीमती [illegible] पति [illegible] मालवीय
   नि0 [illegible]वाड़ा, तह0 अमरवाड़ा, छिंदवाड़ा
4. [illegible]प्रसाद पिता बाबूलाल मालवीय
   नि0 ग्राम [illegible]वाड़ा, तह0 अमरवाड़ा, छिंदवाड़ा
5. [illegible]दास पिता बाबूलाल मालवीय
   नि0 [illegible]वाड़ा, तह0 अमरवाड़ा, छिंदवाड़ा ---- अनावेदकगण

श्री आर0के0 तिवारी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एम0आर0 वर्मा, अभिभाषक, अनावेदकगण

आदेश

(आज दिनांक 04 अक्टूबर, 2014 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी, अमरवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा के अपील प्रकरण क्रमांक 55/अ-6/11-12 में पारित आदेश दिनांक 28-06-12 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्रीमती केराबाई द्वारा मृत कलीराम की पत्नि/विधवा होने के आधार पर मौजा माडरवाला तहसील अमरवाडा की प्रश्नाधीन भूमि पर अन्य सहखातेदारों के साथ नाम दर्ज करने हेतु आवेदनपत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया। यह आवेदनपत्र तहसीलदार अमरवाडा ने अपने आदेश दिनांक 23-04-12 द्वारा खारिज किया। इस आदेश के विरूद्ध केराबाई द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की। केराबाई की मृत्यु होने पर अनुविभागीय अधिकारी ने अनावेदक क्र0 2 से 4 को आवेदकगण तथा अनावेदक 5 गरीबदास को अनावेदक बनाने के आदेश दिये। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 28-6-12 द्वारा तहसीलदार के आदेश दिनांक 23–04–12 के कियान्वयन पर स्थगन जारी करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है। केराबाई द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष इन्द्रवाई, तिलकवति बाई एवं श्रीमती कलाबाई को अनावेदक बनाया गया, किन्तु अनुविभागीय अधिकारी के अंतरिम आदेश दिनांक 28-06-12 के विरूद्ध इन्द्रवती एवं तिलकवति द्वारा प्रस्तुत निगरानी में श्रीमती कलाबाई को अनावेदक बनाया गया है। अनावेदक क्र0 2 से 5 के अधिवक्ता द्वारा आदेश 1 नियम 10 का आवेदन प्रस्तुत कर अनावेदकगण को पक्षकार बनाने हेतु प्रस्तुत किया गया जिसे स्वीकार कर अनावेदक क्र0-2 से 5 को निगरानी में पक्षकार बनाये जाने के आदेश दिये गये हैं।

3/ मैंने अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया। आवेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि आवेदकगण स्व. कलीराम की एकमात्र बहन कलाबाई की सन्तान है जिनके पक्ष में कलीराम ने वसीयत निष्पादित की है। वसीयत के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण का नामान्तरण हो चुका है। केराबाई इस प्रकरण में तहसील न्यायालय में पक्षकार थी, इस कारण केराबाई इस आदेश से असन्तुष्ट थी तो उसे सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करना चाहिये थी। तहसील न्यायालय में इस भूमि के संबंध में प्रस्तुत आवेदनपत्र प्रचलन योग्य नहीं से तहसीलदार द्वारा खारिज किया गया है जिस पर

विचार किये बिना अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बिना आवेदकगण को सुने एकपक्षीय स्थगन प्रदान किया गया है जो निरस्त योग्य है, अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4. अनावेदक के अभिभाषक का तर्क है कि केसरबाई मृतक कलीराम की विधवा है, इस कारण उसे मृत कलीराम के स्थान पर प्रश्नाधीन भूमि पर नामान्तरण कराने की पात्रता है किन्तु केसरबाई के अनपढ़ एवं अशिक्षित होने का फायदा उठाते हुए झूठे वसीयत के आधार पर नामान्तरण कराया गया है जो अवैधानिक है। अनुविभागीय अधिकारी को तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अपील श्रवण करने की अधिकारिता है, इस कारण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदकों के पक्ष में स्थगन देने में कोई त्रुटि नहीं की है। अतः उन्होंने निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया।

5. अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों से स्पष्ट है कि श्रीमती केसरबाई द्वारा मृत कलीराम की पत्नि / विधवा होने के आधार पर मौजा माकरखाड़ा तहसील अमरवाड़ा की प्रश्नाधीन भूमि पर अन्य सहखातेदारों के साथ नाम दर्ज करने हेतु आवेदनपत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसे तहसीलदार, अमरवाड़ा ने अपने आदेश दिनांक 23-04-12 द्वारा खारिज किया। इस आदेश के विरूद्ध केसरबाई द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की। तहसील का आदेश अपील योग्य है, इस कारण अनुविभागीय अधिकारी को अपील श्रवण करने की अधिकारिता है। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 28-06-12 द्वारा अपीलार्थी / अनावेदक का आवेदन स्वीकार कर तहसीलदार का आदेश दिनांक 23-04-12 के क्रियान्वयन पर स्थगन जारी करने के आदेश दिये हैं। संहिता की धारा 52 के अन्तर्गत न्यायहित में अपीलीय प्राधिकारी द्वारा स्थगन दिया जा सकता है। स्थगन जारी करने से आवेदकगण को क्या अपरिमित क्षति हो रही है और किस प्रकार सुविधा संतुलन उसके पक्ष में है इस संबंध में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी दशा में निगरानी में हस्तक्षेप करने का समुचित आधार नहीं है। प्रथम अपील में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उभय पक्ष को सुनकर अंतिम निराकरण नहीं किया गया है व अपना अनुविभागीय अधिकारी

निग0 3030-एक/2012

के समक्ष विचाराधीन है, इसलिये आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत पत्र प्री-मेच्युर होने से उन पर किसी निर्णय की आवश्यकता है।

6. उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी खारिज की जाती है। अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 28-06-12 स्थिर रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0
ग्वालियर,